राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि / नरेगा / मेट / 2011–12 जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर किये जाने बाबत।**

संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 15.05.2014 एवं 30.05.2014**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि किसी भी कार्य पर मेट को दो पखवाडे से अधिक लगातार नही रखा जावे। साथ ही योजना के बेहतर कियान्वयन हेतु मेटों की भूमिका में सुधार की आवश्यकता हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये।

विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर समीक्षा के दौरान यह अनुभव किया गया है कि उक्त निर्देशों की पालना मौके पर नही की जा रही है, जिसके कारण योजना के कियान्वयन में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

संदर्भित पत्रों की प्रति संलग्न कर लेख है कि पत्रों में दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(राजीव सिंह ठाकुर)
आयुक्त, ईजीएस एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर / बाडमेर।
5. कार्यकम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांकः एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/Mate/2011–12 जयपुर, दिनांकः 12.05.2014

15 MAY 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त (राजस्थान)।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेंट का नियोजन रोटेशन के आधार पर करने बाबत।

महोदय,

क्षेत्र में भ्रमण के दौरान यह पाया गया है कि मनरेगा कार्य स्थलों पर मेट का नियोजन रोटेशन के आधार नहीं किया जा रहा है एवं एक ही मेट को एक कार्य पर लगातार नियोजित किया जा रहा है, जो विभागीय निर्देशों के विपरीत है।

नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 के बिन्दु सं. 16.13 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि

(ii) एक कार्य पर एक मेट को लगातार दो पखवाड़े से अधिक नहीं रखा जावेगा तत्पश्चात् इस कार्य पर अन्य मेट को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियोजित किया जावे।

(iii) मेट पैनल में चिन्हित प्रत्येक मेट को जब तक समान अवधि का रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक अन्य किसी मेट को पुनः कार्यों पर नियोजित नहीं किया जावे। इस प्रकार यह सम्भव है कि एक मेट को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मेट के रूप में न मिल सके।

आपसे अनुरोध है कि नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 के उपरोक्त प्रावधानो की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराई जावे। इस हेतु ग्रा.पं. स्तर पर पर्याप्त संख्या में मेट का पूल बनाकर रखा जावे। **किसी कार्य पर मेट को लगातार दो पखवाड़े से अधिक रखे जाने पर इस अनियमितता के लिए कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे।**

भवदीय

(कन्हैया लाल स्वामी)
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम एवं द्वितीय), महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
4. एमआईएस मैनेजर, श्री रिंकु, कार्यालय हाजा को ईमेल करने हेतु।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, मनरेगा)

क्रमांकः एफ.1(23) ग्रा.वि./नरेगा/मेट/2011–12 जयपुर, दिनांक 30 MAY 2014

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एंव जिला कलेक्टर
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेटों से बेहतर कार्य लिए जाने बाबत।
संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15 मई, 2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के निरीक्षण के दौरान मनरेगा योजना के बेहतर कियान्वयन हेतु मेटों की भूमिका में सुधार की सख्त आवश्यकता बताई गई है, जिसके क्रम मे निम्न कार्यवाही प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. योजनान्तर्गत कार्यरत मेटों को अनुशासित रखने के लिए उनका सुपरविजन/नियंत्रण सीधे ही कनिष्ठ तकनीकी सहायकों/कनिष्ठ अभियंता को दिया जावे।
2. मेटों द्वारा ही 5–5 के ग्रुप में "स्थाई श्रमिक दल" बनाये जावे, ताकि यह दल अपेक्षित टॉस्क अर्जित कर पूर्ण मजदूरी प्राप्त हो।
3. मेटों को श्रमिकों से टॉस्क के अनुसार निर्धारित अपेक्षित कार्य लेने हेतु जिम्मेदार बनाया जावे ताकि श्रमिक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर अर्जित कर सकें।
4. अनियमितता में संलिप्त पाये जाने वाले मेटो को काली सूची में डाले (Black listing) तथा यह तथ्य जॉब कार्ड पर लाल रंग की गोल स्टाम्प लगाकर अंकित किया जावे ताकि सभी को स्पष्ट रूप से सूचित रहें।
5. ब्लैक लिस्टेड मेट को पुनः मेट के रुप में लगाये जाने पर गम्भीर मामला माना जावे, जिसके लिए सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं परियोजना अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अतः मेट का जॉब कार्ड जांच कर ही उसे रखें।
6. एक कार्य पर एक मेट को लगातार दो पखवाड़े से अधिक नहीं रखा जावेगा तत्पश्चात् इस कार्य पर अन्य मेट को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियोजित किया जावे।
7. मेट पैनल में चिन्हित प्रत्येक मेट को जब तक समान अवधि का रोजगार नहीं मिल जाता तब तक अन्य किसी मेट को पुनः कार्यों पर नियोजित नहीं किया जावे। इस प्रकार यह सम्भव है कि एक मेट को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मेट के रुप में ना मिल सके।

आपसे अनुरोध है कि नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 के उपरोक्त प्रावधानों की कडाई से पालना सुनिश्चित कराई जावे। इस हेतु ग्रा.पं. स्तर पर पर्याप्त संख्या में मेट का पूल बनाकर रखा जावे। **किसी कार्य पर मेट को लगातार दो पखवाड़े से अधिक रखे जाने पर इस अनियमितता के लिए कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**

भवदीय,

(नवीन जैन)
आयुक्त, ईजीएस